

## परिशिष्ट- II

एपीडा द्वारा दस्तावेज़ संख्या एपीडा/एमपीडी/पंजीकरण/2013 दिनांकित 6 दिसंबर 2013 के माध्यम से एकीकृत बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है। अनुच्छेद 3.7 के अंतर्गत, पंजीकरण की वैधता की तारीख निर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त संयंत्र के पंजीकरण के लिए शुल्क भी अनुच्छेद 1.6 के अंतर्गत निर्दिष्ट है। व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाली प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दृष्टि से, एपीडा द्वारा प्रक्रियाओं में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:-

- i. एकीकृत मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की वैधता वर्तमान में दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है।
- ii. मांस प्रसंस्करण संयंत्रों और स्टैंड अलोन बूचड़खाने की वैधता वर्तमान में एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है।
- iii. संयंत्र पंजीकरण के लिए आवेदन एकीकृत संयंत्रों के लिए रु.75,000/- शुल्क + लागू कर और मांस प्रसंस्करण/स्टैंड अलोन बूचड़खाने के लिए रु. 37,000/- + लागू कर के साथ होना चाहिए।
- iv. यह 01.01.2017 से प्रभावी होगा और इस तिथि से जारी प्रमाण पत्र से संयंत्र पंजीकरण की वैधता में वृद्धि होगी जैसा कि ऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित है।
- v. एपीडा एपीडा संयंत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से जोड़ना जारी रखेगा। यदि एपीडा संयंत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति की वैधता समाप्त हो जाती है, तो एपीडा संयंत्र पंजीकरण समिति द्वारा बिना किसी निरीक्षण के नए सिरे से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर इसका नवीनीकरण किया जाएगा।
- vi. संयंत्रों को संयंत्र के पंजीकरण के लिए "ऑन-लाइन" आवेदन दाखिल करने का प्रयास करना चाहिए।